F 13/493/15/1/25 मिणा जिला मीदी नित्त मण शासन एव पूर्व पृष्ठ से:-विषयांकित प्रकरण में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास - भेडरी --- को प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश जारो किये गये हैं। प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की प्रति 8446 संलग्न है। कृपया शासन नस्ती मूलतः ओ.एस.डी. को अंकिततार्थ प्रस्तुत। सहायक आयुक्त (विधि) वि प्रश्नी. उल्राह्ण के उतिरक्षण कारेश ज्यारी करने हेल मस्ती क्वरिंग 5621/25/128

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 178453/2015

WP/17840/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur ON MERIT Fixed for 14-12-2015 WP-DA-17 Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh, Secretary Department Of Adivasi Vikas Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 08-11-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)
No. WP/ 17840/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Narendra Singh Sengar has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/17840/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-12-2015**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

Sear of the Court Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश

कमांक / स्था० -सी / 6122 / 2016 / 2 988

भोपाल, दिनांक 6/2/16

नियुक्ति आदेश

याचिका प्रकरण केमांक डब्ल्यू०पी० 17840 / 15 श्री नरेन्द्र सिंह सेंगर, कम्प्यूटर ऑपरेटर जिला सीधी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एक 4/196/2001/25/1 दिनांक 01.06.2001 द्वारा प्रत्यारोपित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक~5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी (म070) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवधनों पर हस्ताक्षर करने और चन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आवेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाला है कि मध्यप्रदेश विधि और विभागी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्याँ तथा उत्तरदायित्वाँ के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत परचात अन्य क्ताँ के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्वीरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा 🚣

प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याधिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार चत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विचि विभाग से परामर्स किया गया था, तो उस विमाग की रोय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट कप से निर्दिष्ट की जावेगी ।

समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अविसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा । 2

वाद पत्र / याचिका में चठाए भए समस्त बिन्दुओं का पैस अनुसार एत्कर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी 3. देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिनायक को सहायता पहुंचाने की संमादना है एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

ज़क्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिभाषक से संपर्क करेगा । 4

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवाएगा । 5. 6.

प्रमारी अधिकारी निम्नलिखित कागज एवं भेजेंगे. ---

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।

प्रस्तावित निम्न कथन का एक प्रारूप ।

(म) उन सभी दस्तावेजों की एक **सूधी**, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्ताकित है और जिन्हें प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।

(घ) ः प्रकरण के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रमति में नियत किये गथे कर्तव्यों में स्वयं को सदैव अवगत रखना ।

- जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट्रतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को 8. सुचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन करना -
- अपनी रिपोर्ट के सत्थ निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये 9, जाने के लिये इस विमाग को भेजेंगे ।

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राथ प्राप्त करने और उसकी 10. सवना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

7.

जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के मध्यम से तत्काल जानकारी 11. देगा। यह वर्तमान पद का भार सींघ देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये । 12.

प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए **उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या द**स्तावेज अप्रकटित ∕ छुपी **हुई** नहीं रह जाये।

प्रभारी अधिकारी । यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बाद को विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट 13. विमागाध्यक्ष के माध्यम से जासन को करेगा। निर्णय की एक प्रति अमिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी

- प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों 14. में जहां किसी बाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेकित है. समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च / उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील / रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत 15. होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस पर अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमौत मिल जाये और निर्धारित (निहीत) अविध में अपील / रिवीजन प्रस्तुत हो जावे ।

पृष्ठांकन / स्था**० ७ - सी / 6122 / 201**0 प्रतिलिपि:-

मोपाल ,दिनांक <u>६/२</u>// ४

महाधिवक्ता जबल**प्**र, **म0प्र**0 |

प्रमुख संचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोषाल म०प्र०।

प्रमुख समिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विमाग, भौपाल म0प्र०।

कलेक्टर सीधी म०प्र०। 4.

संभागीय उपायुक्त / नोकल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, रीवा / जबलपुर **म0प्र0, (**

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सीधी (म0प्र0) प्रभारी अविकारी की ओर अग्रेषित।साध ही Ø शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट)पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अ*पनी* प्रगति रिपॉट के साथ उसे उसके विभागाच्या को भंजने हेतु अग्रवित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही मेजनी चाहिये। वाद पन्न की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समझ विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें । मामले में स्थागन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थागन हटाने की ,प्रसावी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत वादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस कार्यालय को

प्रभारी अधिकारी, स्था 3—2 शाखा मुख्यालय भोपाल, म**०५० की ओ**र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत :